न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 70/2020 | दायर दिनांक – 18/06/2020 | निर्णय दिनांक – 20/10/2020

उनवान

प्रभुलाल पिता दुर्गालाल दरोगा निवासी सरदारपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– लादू पिता हरदेव गुर्जर निवासी सरदारपुरा तहसील शाहपुरा
2– नानू पिता भैरू भील निवासी सरदारपुरा तहसील शाहपुरा
3– लाल पिता कल्याण गुर्जर निवासी सरदारपुरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उपस्थिति :– श्री कैलाश पाराशर
अभिभाषक :– प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के **ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का अरनिया घोड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1016/659 रकबा 0.11 है0 किस्म पेटा ।।, 657 रकबा 0.21 है0 किस्म पेटा ।।, 658 रकबा 0.70 है0 किस्म पेटा ।।** कुल **किता 3** रकबा **1.02 हैक्टयर** का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है व सीमा संबंधी विवाद विपक्षीगण द्वारा किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी अपनी आराजी पर हंकाई करने 25.01.2020 को गया तो विपक्षीगण द्वारा विवाद पैदा किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए पेरा नं0 01 में वर्णित आराजियात की मुश्तकिल निशान से चारों सीमाओं पर निशान लगाये जाकर पत्थरगढी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण 2, 3 दिनांक 20.10.2020 को बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी नम्बर 01 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का अरनिया घोड़ा तहसील शाहपुरा में उसके खातेदारी की आराजियात कुल किता– 3 रकबा 1.02 है0 होकर सीमा विवाद के कारण प्रार्थी पत्थरगढी करना चाहता है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश प्रदान करावें। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम सरदारपुरा प0ह0 अरनिया घोड़ा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। किन्तु जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि **आराजी नम्बर 1016/659 रकबा 0.11 है0 किस्म पेटा ।।, 657 रकबा 0.21 है0 किस्म पेटा ।।, 658 रकबा 0.70 है0 किस्म पेटा ।।** कुल **किता 3** रकबा **1.02 हैक्टयर** होकर किस्म पेटा ।। दर्ज रेकार्ड है जो माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां दायर डी0बी0 सिविल रिट पिटिशन नं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में [illegible] से प्रभावित होने से प्रतिबंधित है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shilpa Si[illegible]
Date: 2021.01.29 11:39:48 [illegible]
Reason: SelfAttested

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं कलक्टर
शाहपुरा सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)